International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 26-05-2021, Accepted: 10-06-2021, Published: 25-06-2021
Volume 7, Issue 3, 2021, Page No. 115-117

भूमि पर महिलाओं के अधिकार की आवश्यकता

डॉ. सीमा
सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
भूमि को ग्रामीण परिवेश में जीवन का पर्याय माना जाता है–अर्थात भूमि न केवल जीवनयापन अपितु उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को भी पूरा करती है। भारत जैसे विकासशील देशों में भूमि के अधिकार को अन्य अधिकारों जैसे भोजन के अधिकार, काम के अधिकार और मानव अधिकार से संबंधित किया जाता हैं। वाबजूद इसके भूमि के हस्तांतरण, नियोजन एवं वितरण में लिंग आधारित फासले को सरलता से देखा जा सकता है। अतः भूमि से वंचित होने से न केवल महिलाओं की सशाक्तिरण की राह अवरूद्ध होती है बल्कि भूमि पर महिलाओं के अधिकारों का अभाव उनकी पहचान को प्रभावित करने से भी जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि पर महिलाओं का अधिकार उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। लिहाजा भूमि पर महिलाओं का अधिकार उनके सशक्तिकरण में अहम् योगदान दे सकता है।

मूल शब्दः महिलाओं के अधिकार

प्रस्तावना
भारत जैसे देश में जहां आज भी जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता है में भूमि जीवनयापन का प्रमुख स्त्रोत है। इसके साथ ही भूमि से जुड़ाव शक्ति संपन्नता का पर्याय है।[1] भारत में पुरुष श्रमिकों का 58 प्रतिशत और महिला श्रमिकों का 78 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा हुआ है।[2] भूमि पर महिलाओं के अधिकारों का अभाव उनकी पहचान को प्रभावित करने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत जैसे विकासशील देशों में भूमि के अधिकार को अन्य अधिकारों जैसे भोजन के अधिकार, काम के अधिकार और मानव अधिकार से संबंधित किया जाता हैं। अतः भूमि पर महिलाओं के अधिकार से उनके सशक्तिरण की राह प्रशस्त किया जा सकता है बल्कि इससे उन्हें समाज के शक्ति संबंधों (पितृसत्तात्मक व्यवस्था) को चुनौती देने की ताकत मिलेगी। अतः प्रस्तुत लेख महिलाओं के भूमि अधिकरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भूमि पर महिलाओं के अधिकार की आवश्यकता
खेती पर आश्रित महिलाओं के जीवनयापन की सुरक्षा की दृष्टि से भूमि अधिकारों का महत्व सबसे अधिक होता है। वाबजूद इसके यह एक ऐसा मूद्दा है, जिसकी पारिवारिक एवं सार्वजनिक दोनों स्तरों पर अनदेखी की गई है। भूमि का असमान वितरण स्त्री–पुरुष असमानता के अन्य आयामों को भी उजागर करता है। परन्तु इस तथ्य को अब तक मात्र वर्ग भेद के साथ जोड़ कर ही देखा जाता रहा है। अमर्त्य सेन के अनुसार कितने ही समुदायों में घर व जमीन जैसी प्राथमिक परिसंपत्तियों में स्त्री–पुरुष के बीच भारी विषमता दिखाई देती है। भूमि पर महिलाओं के अधिकार का न होना केवल महिलाओं की आवाज़ को दबाता है, बल्कि इसका अभाव उनकी व्यवसायिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण योगदान कर सकने वाली क्षमताओं को भी कुंठित कर देता है।[3]
भूमि पर महिलाओं का अधिकार उनके सशक्तिकरण से सीधे तौर पर संबंधित है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है। जिसमें महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक उपल्बधियों, आर्थिक एवं राजनीतिक राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। भूमि पर महिलाओं का प्रभावी नियंत्रण समाज के सत्ता संबंधों में परिवर्तन करने और महिलाओं के जीवन की गुणवता निर्धारित करने वाले निर्णय लेने की क्षमताओं के विकास में मददगार साबित हो सकता है।[4] भूमि पर महिलाओं का अधिकार उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव डालता है। जिनका नीचे विस्तार से उल्लेख किया गया है।

भूमि पर महिलाओं के अधिकार का उनकी परिवारिक स्थिति पर प्रभाव
भूमि पर महिलाओं का अधिकार उन्हें परिवार में विद्यमान जेण्डर मानसिकता एवं पूर्वाग्रहों से लड़ने की ताकत देने में सहायक हो सकता है। महिलाओं के पास भूमि होने से उनके उपर होने वाली घरेलू हिंसा की आशंका को कई गुणा तक कम किया जा सकता है। बीना अग्रवाल और प्रदीप पंडया ने अपने केरल राज्य के अपने शोध में भूमि स्वामित्व एवं घरेलू हिंसा के संबंध को दर्शाया है। उनके अनुसार जो महिलाएँ संपत्तिहीन होती है– अर्थात जिनके पास न जमीन होती है, न ही घर उन्हें 49 प्रतिशत शारीरिक हिंसा एवं 84 प्रतिशत मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत जिन महिलाओं के पास घर या भूमि का स्वामित्व होता है, उन पर इस हिंसां की आशंका कई गुणा तक कम हो जाती है। घर या भूमि का स्वामित्व रखने वाली महिलाओं को मात्र 7 प्रतिशत शारीरिक एवं 16 प्रतिशत ही मानसिक हिंसा का ही सामना करना पड़ता है।[5] इस तरह भूमि का अधिकार महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने में सहायक है। ठीक ऐसा ही अनुभव मुझे अपने पी. एच. डी. के दौरान किए गए क्षेत्र अध्ययन के समय भी हुआ।
भूमि पर महिलाओं का अधिकार होने से उनके ऊपर गरीबी का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि भूमि को गरीबी से लड़ने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पति द्वारा छोड़ देने या विधवा होने की स्थिति में वे बेसहारा और आश्रित नही रह जाती। भूमि उन्हें जीवनयापन की सुरक्षा प्रदान करती है। बुलन्दशहर के अपने फील्ड सर्वे के दौरान अवलोकन किया गया कि जिन महिलाओं को पट्टे में जमीन मिली थी, उन्हें पति द्वारा छोड़े जाने का डर कम था। उनका मानना था कि हमारे पास जमीन है। हम इस पर काम करेगी और खाएगी।[6]

भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व को न केवल उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार के रूप में देखा जाता है, अपितु बच्चों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ के हाथ में भूमि होने से बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होता है। ग्रामीण भारत में देखा गया है कि माँ के हाथों में पैसा या संसाधन होने से बच्चों के विद्यालय जाने और इलाज की सुविधाएँ पाने की संभावनाएँ अधिक होती है।[7] अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि भूमि पर महिलाओं का अधिकार परिवार में उनकी स्थिति में सुधार करने के साथ–साथ पारिवारिक दायरे में होने वाले शोषण से संरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है।

सामाजिक पर स्थिति पर प्रभाव

सामान्यतः माना जाता है कि परिवार एवं समाज में महिला और पुरुषों का महत्व उनके कार्यों एवं भूमिकाओं के आधार पर तय किया जाता है। परन्तु इन भूमिकाओं एवं कार्यों का निर्धारण प्राकृतिक नहीं हेाता अपितु इनके निर्धारण के गर्भ में एक लम्बी सामाजिक प्रक्रिया पर दृष्टिपात किया जा सकता है। इस तरह पितृसत्ता का पोषण सामाजिक संस्थाओं एवं संरचनाओं द्वारा किया जाता है। यही सामाजिक प्रक्रिया तय करती है कि पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में महिला और पुरुष का महत्व कितना है और उनके आदर्श एवं कार्य क्या होगें ? इसी कारण सीमोन द बुआ कहती है कि औरत पैदा नही होती बल्कि बना दी जाती है। सामाजिक संस्थाएँ एक क्रमबद्ध तरीके से महिलाओं को भूमि के स्वामित्व एवं नियंत्रण से वंचित कर देती है जिसकी फलश्रुति सत्ता वितरण में लैंगिक विभेद के रूप में होती है।[8]

इस सामाजिक प्रक्रिया की परिणति मात्र महिला और पुरुषों के लिए अलग–अलग भुमिकाओं के निर्धारण के रूप में ही नही होती। यह महिला और पुरुषों के संसाधन निर्माण करने वाले व्यवहारों को तय करने की दिशा में भी कार्य करती है। यही कारण है कि माता–पिता बेटी के लिए दहेज तो बड़े चाव से जोड़ते है, परन्तु उनको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने में उतनी रूचि नही दिखाते।[9] इस तरह महिला अधीनीकरण का स्तर और स्वरूप सामाजिक परिवेश द्वारा निर्धारित होता है। जिसके कारण महिलाएँ न केवल पारिवारिक स्तर पर अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में अन्या (दूसरे दर्जे) के रूप में पहचानी जाती है।

महिलाओं के हक में भूमि होने से पारिवारिक एवं आर्थिक स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार करने के साथ–साथ, उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है। चूंकि भूमि सामाजिक संबंधों और पहचानों को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख संसाधन है। भूमि को ऐसे सामाजिक संसाधन की उपमा दी जाती है, जो किसी समुदाय के इतिहास को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस तरह भूमि पर अधिकार होने से महिलाएँ स्वयं को समाज का सदस्य होने का दावा प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही भूमि एक ऐसा संसाधन भी है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के बीच एवं व्यक्तियों के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है।

अतः महिलाओं को भूमि का अधिकार देने से वह स्वयं को सामाजिक संबंधों के साथ न केवल सहज महसूस करेगीं, बल्कि इससे उन्हें समाज के सक्रिय सदस्य होने की क्षमता भी प्राप्त होगी। इस तरह भूमि पर महिलाओं का अधिकार सामाजिक स्तर पर उनके 'अन्या' होने की स्थिति को परिवर्तित करने में सहायक है। चूंकि संसाधनों पर महिलाओं की पहुंच सामाजिक अभिवृतियों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित होती है। परंपरागत रूप से महिलाओं को उत्तराधिकार में संपत्ति तभी मिलती है, जब पुरुष उत्तराधिकारी न हो। इस तरह सामाजिक मान्यताओं द्वारा जेंडर की सीमाओं को बांधने से एवं भूमि से वंचित करने से उनकी सामाजिक गतिशीलता को अवरूद्ध कर दिया जाता है। घर के बाहर की गतिविधियों विशेषतः बाजार संप्रेषण में उनकी भागीदारी कम हो जाती है। जिसके फलस्वरूप वें नई कृषि तकनीकों और तरीकों के बारे में जानकारी पाने के लिए, जरूरी वस्तुएँ खरीदने के लिए और अपना उत्पाद बेचने के लिए पुरुषों पर निर्भर हो जाती है।[10] अतः इस निर्भरता को खत्म करने और महिलाओं के सामाजिक संप्रेषण के लिए भूमि पर उनका अधिकार होना आवश्यक प्रतीत होता है।

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यक शर्तों में से एक है, क्योंकि इस आत्मनिर्भरता की सहायता से उन्हें विषमता के गैर आर्थिक आयामों से लड़ने की भी ताकत मिलती है। इसके साथ ही सत्ता एवं राजनीतिक पकड़ बनाने में आर्थिक स्थिति का अहम् किरदार होता है।[11] परिवार में महिलाओं की अन्या ;दूसरे दर्जेद्ध की स्थिति एवं अधीनता की जड़ में उनकी आर्थिक निर्भरता को देखा जा सकता है। अतः आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को पितृसत्ता को चुनौती देने का एक माध्यम माना जा सकता है। परन्तु महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सामानयतः रोजगार एवं श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की ओर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन संपत्ति विशेषतः भूमि की महत्ता को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

भूमि के स्वामित्व पुरुषों के हाथों में होने कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होकर उन्हें देवता, अन्नदाता एवं स्वामी मानती है। भूमि का अधिकार कई तरीकों से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। भूमि तक महिलाओं की पहुंच से न केवल उनके जीवनयापन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि ऐसे कई संसाधनों तक उनकी पहुंच संभव हो सकेगी जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की क्षमता रखते है। जैसे महिलाओं के नाम भूमि होने पर वे सरलता से कृषि में सुधार करने वाली तकनीकों का उपयोग कर सकती है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली, पानी, बीज एवं खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकती है।[12] जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

आर्थिक संकट की स्थिति में भूमि महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक घटक की तरह कार्य कर सकती है। जिसको गिरवी रखकर या बेचकर वह संकट की स्थिति से निपट सकती है। जमीन पर महिलाओं का स्वामित्व उनके खेत मजदूरी पाने की संभावना को भी बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें इस तरह के काम का तर्जुबा होता है। यदि महिलाएँ गैर कृषि वाले देहाती काम–धंधों को प्रांरभ करना चाहती है तो भूमि उनके लिए एक अहम् पूंजी की तरह काम करती है। जब महिलाओं के पास भूमि होती है तो उनकी मोल–भाव की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके बल पर वह पुरुषों की आमदनी से मिलने वाले फायदों को भी परिवार में समतापूर्ण ढ़ग से बटाने में अहम् भूमिका निभा सकती है।[13] जमीन पर महिलाओं का अधिकार होने से उनकी कार्यकुशलता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह भूमि पर नियंत्रण एवं स्वामित्व उनके सशक्तिकरण का मुख्य माध्यम है।

राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लोकतंत्र की सफलता के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को स्वतंत्रता एवं समानता के साथ–साथ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता के रूप में परिभाषित किया जाता है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य की दशा, रोजगार के अवसर और संपत्ति के स्वामित्व जैसे विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि संपत्ति का एक बड़ा रूप है। लिहाजा

यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि क्या भूमि का स्वामित्व एवं अधिकार राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है। इसका अंदाजा मेरियन यंग के इस कथन से सरलता से लगाया जा सकता है कि गरीबी का नुकसान यह है कि यह कुछ नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को बाधित करती है (The harm of poverty inhibit the political participation of some citizen)।[14] भूमि को गरीबी से लड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि गरीबी मूलतः उत्पादक संपत्तियों का अभाव है और जब तक संसाधनों का पुनर्वितरण नही किया जाता तब तक अन्य स्वतंत्रताओं का उपयोग भी संभव नही है। अतः महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी महिलाओं की भूमि तक पहुंच महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

किसी भी समाज में संसाधनों का वितरण मात्र वहां न्याय की स्थापना से ही जुड़ा हुआ प्रश्न नही है बल्कि इसका उस समाज में कायम जेंडर संबंधों से भी गहरा नाता होता है। इस तरह महिलाओं को भूमि का अधिकार देने से उन्हें न केवल समाज के भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी, अपितु इससे उन्हें समाज के सत्ता संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। अतः यह कहना अतिशोक्तिपूर्ण नही होगा कि भूमि पर महिलाओं का अधिकार न केवल स्त्री–पुरुष के मध्य के भेद को समाप्त करने में सहायक है, बल्कि इससे महिलाओं की क्षमताओं में वृद्धि कर उन्हें विषमता के अन्य आयामों से लड़ने की ताकत भी मिल सकेगी।[15]

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहना असंगत नही होगा कि महिलाओं के लिए भूमि उनके व्यक्तितव के विकास का एक साधन है, जो उनके जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अतः भूमि से वंचना की फलश्रुति सत्ता वितरण में जेण्डर विभेदीकरण के रूप में देखने को मिलती है। महिलाएँ जब भूमि पर अपने स्वामित्व के मूद्दे को उठाती हैं तो इसके द्वारा वह उस सामाजिक संरचना को चुनौती देती है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से महिलाओं को भूमि के अधिकार और नियंत्रण से वंचित करती है। अतः भूमि पर महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित कर उनके सशक्तिकरण की राह को प्रशसत किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. नित्या राव, 2008 एगुड वुमेन डू नॉट इनहेरिट लैंड, पोलिटिक्स ऑफ लैंड एंड जेंडर इन इंडिया, नई दिल्ली, सोशल सांइस प्रैस, पृ.5।
2. भारत की जनगणना, 2011, https://censusindia.gov.in/2011-common/censusdata2011.html.
3. अमर्त्य सेन 2005, भारतीय अर्थतंत्र,इतिहास और संस्कृति, नई दिल्ली, राजपाल ,पृ.215।
4. नित्या राव, 2008 पूर्वोद्धत, पृ.17।
5. प्रदीप कुमार पंड्या, 2007, राइटस बेसड स्ट्रेटरजीस इन द प्रीवेनशन ऑफ डोमेस्टिक वाइलेंस, सेंटर फॉर डेवलोपमेंट स्टडीज, तिरूवंतपुरम, पृ.23।
6. फील्ड कार्य, बुलंदशहर, अगस्त 2015।
7. बीना अग्रवाल, 1994, ए फील्ड ऑफ वन्स ऑन जेंडर एंड लैंड राइट इन साउथ एशिया, कैंब्रिज युनिवर्स्टी प्रैस, पृ.30।
8. आतिफ रब्बानी, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असामनता, समयांतर जनवरी 2016, पृ.59।
9. बीना अग्रवाल, 1994, जेंडर एंड कामंड ओवर प्रोपटी : एक्रीटिकल गेप इन इकॉनोमिक एनालाइसिस एंड पॉलिसी इन साउथ एशिया, वर्ल्ड डेवलोपमेंट, वाल्यूम 22, न. 10, पृ. 1465।
10. बीना अग्रवाल, 1994, ए फील्ड ऑफ वन्स ऑन जेंडर एंड लैंड राइट इन साउथ एशिया, पूर्वोद्धत, पृ. 34।
11. वही, पृ. 39।
12. वही पृ. 34।
13. वही, पृ. 31।
14. आइरिश मेरिन यंग, 2000, इनक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, आक्सफॉर्ड युनिवर्सटी प्रैस, न्यूयॉर्क, पृ.34।
15. वार्ड मिशेल्स, 1999, परसेपशन ऑफ पोवर्टी : द हिस्टोरीकल लेगेसी, आइडीएस, वॉल्यूम 30, पृ. 2।